कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.–9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 340/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना-दीदारगंजः- आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2025 को वादी द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे भाई को मधुकर पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ जो कुशल गांव बाजार में अवैध अस्पताल एवं मेडिकल स्टोर चलाते हैं और अवैध तरीके से बीस्सी चलाते है और अधिक ब्याज पर पैसा बाटते हैं, जिसमें 10 से 12 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें मेरे भाई शिवआसरे छोटे भाई को भी यह लोग अपने झांसे में लेकर अपने जाल में फंसा लिए और मेरे भाई से सादा ब्लैंक चेक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुशलगांव जिला आजमगढ़ का बिना दिनांक का जिस पर सिर्फ मेरे भाई से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए, उस चेक का नंबर 835878 है और मेरे भाई से काफी पैसा ले लिए थे, जिसमें 5 लाख की दो बीस्सी और दो-दो लाख की पांच बीस्सी कुल मिलाकर 20 लाख रुपए ले लिए और जब मेरा भाई अपना पैसा वापस मांगा तो उसे जान से मारने और बलात्कार के मुकदमे में फर्जी ढंग से फसाने की धमकी डाक्टर मधुकर देने लगे और मेरे भाई से और पैसा देने के लिए दबाव बनाने लगे। मेरे भाई ने मुझे बताया तो मैं भी डक्टर मधुकर के अस्पताल पर गया जो कुशलगांव में स्थित है। उनसे पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे भाई का पैसा वापस कर दीजिए, लेकिन यह नहीं माने। मेरे भाई पर बराबर पैसा देने के लिए दबाव बनाते रहे और मुकदमे में फसाने जो चेक उपरोक्त लिए थे उसे पर ब्लैंक चेक पर बहुत ज्यादा पैसा लिखकर खाते में डालकर चेक बाउंस कराकर मुकदमा करके पैसा वसूलने की धमकी देते रहे। मेरा भाई शिवआसरे, डक्टर मधुकर और अन्य के धमकी और प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 26 मई 2025 को अपनी दुकान के ऊपर छत पर तीन सेट में फांसी लगाकर जान दे दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 227/25 धारा 108, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 17.09.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मधुकर मिश्रा पुत्र स्व0 पारस नाथ निवासी करुई थाना दीदारगंज आजमगढ उम्र 46 वर्ष को दीदारगंज चौराहे से समय करीब 8.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

01. मधुकर मिश्रा पुत्र स्व0 पारस नाथ निवासी करुई थाना दीदारगंज आजमगढ हाल पता सौरभ मेडिकल हाल कुशलगांव बाजार थाना दीदारगंज आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 227/25 धारा108, 351(3) बीएनएस थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 कृष्ण कुमार पटेल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

02.थाना-सरायमीरः-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.09.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त आमिर पुत्र इरशाद अहमद निवासी पठान टोली कसाई मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झाँसा देकर वादिनी के साथ अवैध सम्बन्ध बनाना व शादी से इन्कार करना तथा आमिर के परिवारीजनों द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देने व प्रार्थिनी के बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 399/2025 धारा 69,115(2),352, 351(3) 110, बीएनएस बनाम 1. आमिर पुत्र इरशाद अहमद निवासी पठान टोली कसाई मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ , 2. साबिया (आमिर की पहली पत्नी) 3. सलमान (आमिर का भाई) 4.इरशाद अहमद (आमिर के पिता) निवासीगण ग्राम पठान टोली कसाई मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 5-चांद (आमिर का साला) 6- समीर (आमिर का साला) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 17.09.2025 को व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त आमिर पुत्र इरशाद साकिन पठान टोला थाना सरायमीर आजमगढ़ को खरेवाँ मोड़ से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आमिर पुत्र इरशाद अहमद निवासी पठान टोली कसाई मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 399/2025 धारा 69,115(2),352, 351(3),110 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

01.व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

02. का0 आलोक शुक्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

03.थाना-रौनापारः-साइबर फ्राड के कुल 7,700 रूपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये।

घटना का विवरण-

आवेदक धीरज कुमार कल्पनाथ पुत्र स्व0 कल्पनाथ निवासी जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिनांक 09.05.25 को सुअर पालन हेतु लोन लेने के नाम पर 7700/- रुपये बैंक कर्मचारी प्रविण सिंह पुत्र अविनाश सिंह निवासी शेखपुर बचौरी थाना देवगाँव आजमगढ़ को दिया थे। परन्तु प्रवीण सिंह द्वारा आवेदक से पैसा लेने के बाद भी सुअर पालन हेतु लोन नही दिलाया गया। जिसके सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा दिनांक 16.06.25 को साईबर क्राईम पोर्टल के माध्यम से साईबर फ्राड की शिकायत नं0 23106250085675 दर्ज कराया गया ।

बरामदगी का विवरणः-

आवेदक धीरज कुमार कल्पनाथ पुत्र स्व0 कल्पनाथ निवासी जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के साथ हुए साईबर फ्राड के सम्बन्ध मे थाना रौनापार की साईबर टीम द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 23106250085675 दर्ज कराया गया । शिकायत दर्ज होने के उपरान्त आवेदक को पैसा प्रविण सिंह उपरोक्त के फिनो पेमेन्ट बैंक मे भेजा गया था । थाना स्थानीय के साईबर टीम द्वारा प्रवीण सिंह से वार्ता किया गया तो प्रविण सिंह द्वारा आवेदक का पैसा आवेदक के खाते मे वापस कर दिया गया ।

पुलिस टीम का विवरणः-

1.साईबर हेल्ड डेस्क टीम थाना रौनापार आजमगढ़

04.थाना-कोतवालीः-धोखाधड़ी की घटना में वांछित, 15000 रूपये का इनामिया अभियुक्त, 01 अदद पिस्टल के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

प्रार्थी हरिशंकर जायसवाल पुत्र मुन्नीलाल नि. कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि विनोद कुमार मिश्रा पुत्र बृजमोहन मिश्रा ग्राम पैकौली पोस्ट रावत मऊ थाना सिधारी तहसील सदर जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जो टी बी हस्पिटल सदर में वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत थे, जिनका मोबाइल नंबर 75XXXXXXXX एवं उनके पुत्र पिंटू उर्फ राजीव मिश्रा मोबाइल नंबर 98XXXXXXXX द्वारा संपर्क होता था। विनोद कुमार मिश्रा ने मेरे पुत्र आशुतोष कुमार जायसवाल का यूपीपीसीएल में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कागजात 23/10/24 को लिया और आश्वासन दिया कि साक्षात्कार आधार पर बैंक एंड से नियुक्ति पैरवी करके करवा देंगे। दिनांक 09/11/24 को विनोद कुमार मिश्रा द्वारा मोबाइल नंबर 94XXXXXXXX दिया गया व कहा गया कि भैया राय से बात कर लिया जाए उपरोक्त नंबर से बात करने पर जो अपने आप को आदर्श कुमार राय उर्फ भैया राय बताया, ने ड्राफ्ट बनवाने व पैरवी खर्च हेतु रु10000 की मांग की जिसकी पुष्टि मिश्रा जी से करके दिए गए नंबर पर मेरे पुत्र ने अन्तरण कर दिया, पुनः राय जी ने मेरे पुत्र को 12/11/24 को एमवीवीएनएल लखनऊ आने हेतु कहा जहां पर साक्षात्कार होगा व नियुक्ति पत्र मिलेगा । 12/11/24 को पुत्र को एमवीवीएनएल पहुंचने पर आदर्श राय उर्फ भैया राय मिले, जिन्होंनें ऑफिस में एक स्टाफ के साथ भेजा जो अपने आप को कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार मोबाइल नंबर 77XXXXXXXX बताया जिसने फार्म भरवाया व हस्ताक्षर लिया तथा सभी अर्हता प्रमाण पत्र व अभिलेख की छाया प्रति एवम् जाति व निवास की मूल प्रति लिया व अगले दिन मूल प्रमाण पत्र के साथ आने को कहा। बाहर आने पर आदर्श कुमार उर्फ भैया राय ने पुनः रु50000 पैरवी खर्च की मांग की कि आपका काम हो गया है जिसे पुनः मिश्रा जी से पुष्टि करके दिए गए नंबर पर अंतरित किया गया, 13/11/24 को मूल प्रमाण पत्र के साथ एमवीवीएनएल पहुंचने पर अमित कुमार मिले व मूल प्रति देखकर रखने हेतु कहा और सर्विस बुक पर हस्ताक्षर व उंगलियों के निशान लिए व नियुक्ति पत्र दिया। पुनः बाहर आने पर राय जी ने कहा कि आपका काम हो गया है मेडिकल करा कर आ जाइए व पुलिस वेरिफिकेशन हेतु जाएगा उसे भी करवा कर आईएगा फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेल द्वारा कंफर्मेशन भी जाएगा पुनः पैरवी खर्च हेतु रु140000 की मांग की जिसे वादी ने कहा कि इंतजाम करना पड़ेगा व ज्वाइन करने के बाद देंगे, कह कर आजमगढ़ चले आए। 14/11/24 को मेरे पुत्र का पुलिस वेरिफिकेशन एवम् मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा था इसी बीच बार-बार मिश्रा जी का फोन आ रहा था कि सब किया कराया बेकार हो जाएगा व जल्दी रु140000 देने का दबाव बनाया जा रहा था मिश्रा जी के बार-बार कहने पर मेरी जिम्मेदारी पर रुपये दे दीजिए कुछ भी गलत नहीं है शंका मत कीजिए कंफर्मेशन मेल भी जाएगा तो मेरे द्वारा रु50000 व मेरे पुत्र द्वारा रु90000 का अंतरण कर दिया गया, मेल द्वारा कंफर्मेशन 14/11/24 एवम् 27/11/24 संलग्न हैं। पुलिस वेरिफिकेशन एवं मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ एमवीवीएनएल पहुंचने पर अमित कुमार ने बताया कि सभी कैंडिडेट की नियुक्ति एक साथ होगी, कभी कहा गया कि डाक से सूचना जाएगी, मेल जाएगा। राय जी ने भी यही कहा। दो बार जाकर लौटने के बाद ऑफिस से पता किया तो नियुक्ति पत्र जारी होने की पुष्टि नहीं हुई। मिश्रा जी व मिश्रा जी के लड़के से बात करने पर कहा गया कि आदर्श कुमार राय उर्फ भैया राय फोन नहीं उठा रहा है । सेवा नियुक्ति का झांसा देकर वादी व उसके पुत्र से ली गई। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 60/2025 धारा 316(2),318(4),336(3),338,340,61(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका, कां0 विकास सरोज द्वारा मुखबिर की सूचना पर व दिनांक 23.7.25 को माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्लू के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आदर्श राय उर्फ भैया राय पुत्र रामदेव राय निवासी स्थाई पता ग्राम धौरहरा गोचना थाना मुन्डेरवा जिला बस्ती, दूसरा पता हरिद्वार पुरम कालोनी थाना शाहपुर जनपद

गोरखपुर तथा हाल पता किराये का मकान 5/500 सेक्टर 5 सदर तहसील के पास गोमती नगर विस्तावर लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ उम्र 42 वर्ष को दिनांक 16.9.25 को समय करीब 17.45 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ एक्जिट टोलप्लाजा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. आदर्श राय उर्फ भैया राय पुत्र रामदेव राय निवासी स्थाई पता ग्राम धौरहरा गोचना थाना मुन्डेरवा जिला बस्ती, दूसरा पता हरिद्वार पुरम कालोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर तथा हाल पता किराये का मकान 5 /500 सेक्टर 5 सदर तहसील के पास गोमती नगर विस्तावर लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ उम्र 42 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद पिस्टल मल्होत्रा डिफेंस एम.एस.डी.सुपर कैलीबर .32 बोर कम्पनी .32 बोर मैगजीन लगी, लाइसेंस संख्या 2051/PS मुंडेरवा जिला बस्ती UIN नम्बर 330150009777362015 व एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 316(2),318(4),336(3),338,340,61(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 55/2018 धारा 419,420,406,504,506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ

2.मु0अ0सं0 47/18 धारा 406,419,420,504,506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ

3.मु0अ0सं0 55/18 धारा 419/420/468/506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 279/17 धारा 419,420,506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ

5.मु0अ0सं0 369/17 धारा 419,420,506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

6.मु0अ0सं0 127/21 धारा 419,420,506 भादवि थाना गोला जनपद गोरखपुर

7.मु0अ0सं0 33/23 धारा 406/419/420/506 भादवि थाना बरसठी जनपद जौनपुर

8.मु0अ0सं0 306/16 धारा 406/419/420/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद बस्ती

9.मु0अ0सं0 385/17 धारा 419,420,465,468,471,504,506 भादवि थाना मुन्डेरवा जनपद बस्ती

10.मु0अ0सं0 852/17 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ

11.मु0अ0सं0 603/18 धारा 406/420/506 भादवि थाना हजरतगंज लखनऊ

12.मु0अ0सं0733/21 धारा 406,420,506 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर

13.मु0अ0सं0 02/16 धारा 406 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ

14.मु0अ0सं0127/18 धारा 120बी,406/420/467/468/471 भादवि थाना हजरतगंज लखनऊ

15.मु0अ0सं060/25 धारा 316(2),318(4),336(3),338,340,61(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01. उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका,

02. कां0 विकास सरोज कोतवाली आजमगढ़

05.थाना-कोतवाली:-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 05.09.2025 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त आकाश यादव पुत्र विजय यादव साकिन ग्राम बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जो कि लक्ष्मी मेडिकल हाल के पीछे यादव बस्ती बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ अपने मौसी-मौसा के साथ रहता है द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया जिसके वादिनी के एक 04 माह की बच्ची भी है। अभियुक्त द्वारा वादिनी की बच्ची को कई बार मारने की भी कोशिश की गयी व अब शादी से इंकार किया जा रहा है। जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 444/25 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 17.07.2025 को व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह, मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश यादव पुत्र विजय यादव ग्राम मकबूलपुर भोर्रा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ हाल पता नाना का घर बहद ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली नगर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को समय करीब 13.10 बजे बावली मोड बागेश्वरी चौराहा के पास, भंवरनाथ रोड पर कुलदीप गुटका पान की दुकान के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण:-

01. आकाश यादव पुत्र विजय यादव ग्राम मकबूलपुर भोर्रा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ हाल पता नाना का घर बहद ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली नगर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 444/25 धारा 69 बीएनएस(376 भादवि) थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
02. कां0 हीरालाल, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
03. कां0 संदीप कुमार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

06. थाना-तहबरपुर:-चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 30.04.2025 को वादी उत्कर्ष प्रजापति पुत्र रामसमुझ प्रजापति ग्राम अहियाई पोस्ट-धर्मदासपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा आनलाईन ई-एफआईआर के माध्यम से थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/2025 धारा 303(2) बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में जाँच के आधार पर अभियुक्त उदयभान भारती पुत्र लक्षमन भारती उम्र 45 वर्ष ग्राम रामपुर कलवारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 17.09.2028 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त उदयभान भारती पुत्र लक्षमन भारती उम्र 45 वर्ष ग्राम रामपुर कलवारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को SBI बैंक के पास सड़क के किनारे से समय करीब 14.00 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 1500 रूपये नगद व एक अदद एण्ड्राइड मोबाइल X1A0M15G रंग आसमानी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

उदयभान भारती पुत्र लक्षमन भारती उम्र 45 वर्ष ग्राम रामपुर कलवारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 93./2025 धारा 303(2) थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. नगद 1500 रूपये
02. एक अदद एण्ड्राइड मोबाइल फोन

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1 उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 प्रशान्त कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

3. का0 प्रदीप कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़